न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.07.2025	प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण संख्या 55 / 2025 मोहनसिंह व अन्य बनाम सुश्री नीतू करोल सहायक कलक्टर बांदीकुई व अन्य अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री श्यामसुन्दर शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सैनी द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस करने का अनुरोध करने पर उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थीगण के विरूद्ध दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मु. नं. 04 / 2017 उनवानी करणसिंह बनाम मोहनसिंह वगै. न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई में पेश किया गया है। जिसमें अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थीगण को ऐलानियां धमकी दी है कि हमने नीतू करोल सहायक कलक्टर बांदीकुई से सांठ गांठ कर ली है और हम उक्त दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को हमारे पक्ष में कराकर रहेंगे। अप्रार्थी सं. 2 बाहुबली है जो सहायक कलक्टर बांदीकुई से से सांठ गांठ कर उक्त दावा को अपने पक्ष में करवाने पर आमादा है इसलिये सहायक कलक्टर बांदीकुई से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण उक्त प्रकरण को अन्य किसी न्यायालय में स्थानान्तरण करवाना चाहते हैं। पीठासीन अधिकारी न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई द्वारा प्रकरण में पास–पास की तारीख लगाकर प्रकरण को अप्रार्थी सं.2 के पक्ष में करने पर आमादा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को सहायक कलक्टर बांदीकुई के चेम्बर से बाहर निकलते हुए देखा है। जिससे प्रार्थीगण को यह विश्वास हो गया है कि सहायक कलक्टर बांदीकुई प्रकरण को अप्रार्थीगण के पक्ष में करके रहेगी। प्रार्थीगण को सहायक कलक्टर बांदीकुई से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई से अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि प्रकरण अधिक पुराना होने के कारण न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई से न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई में स्थानान्तरित होकर शीघ्र सुनवाई हेतु प्राप्त हुई है। न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई फास्ट ट्रेक न्यायालय है। इसलिये सभी प्रकरण में पास–पास की तारीख लगाई जाती है। ताकि प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जा सके। उक्त प्रकरण पुनः कुरेजात हेतु नियत है जिसमें अब तक तीन बार कुरेजात आ चुके हैं। न्यायालय सहायक कलक्टर ने तीसरी बार कुरेजात मंगवाने के आदेश दिनांक 16.12.2024 को तहसीलदार बांदीकुई को किये थे। तहसीलदार बांदीकुई ने तीसरी बार कुरेजात दिनांक 2.7.2025 को न्यायालय में पेश कर दिये। तीनों बार आये हुए कुरेजात एक समान ही आये हैं। प्रार्थीगण द्वारा ही कुरेजातों पर आपत्ति प्रार्थना पत्र लगाया जाता है और जबरन कुरेजातों को अपने अनुसार मंगवाना चाहता हैं। जब तहसीलदार बांदीकुई ने प्रार्थीगण के कहे अनुसार कुरेजात नहीं बनाये तो प्रार्थीगण ने पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने एवं प्रकरण में विलम्ब करने के उद्देश्य से पीठासीन अधिकारी पर निराधार, झूठे आरोप लगाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। [illegible] प्रकरण वर्ष 2017 से लम्बित है एवं निस्तारण के नजदीक है। प्रार्थी[illegible] द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई [illegible] सबूत भी पेश नहीं किये गये हैं। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज फरमावें।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:36:22 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रकरण पुनः कुरेजात में नियत है। कुरेजात पेश होने पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्य/सबूतों के आधार पर निर्णय किया जाना है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण केवल प्रकरण में देरी करने की नीयत से पेश किया गया है। न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई फास्ट ट्रेक है इसलिये सभी प्रकरणों में नजदीक की तारीख पेशी नियत की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप गलत हैं। फिर भी प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट्र ट्रेक) बांदीकुई में विचाराधीन प्रकरण उनवानी करणसिंह बनाम मोहनसिंह वगै. को लम्बित रखने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया जाना प्रतीत होता है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये गये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट्र ट्रेक) बांदीकुई को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अति. जिला कलक्टर,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:36:22 IST
Reason: SelfAttested